

[2010] 2 एस. सी. आर 1167

ए. पी. लोक सेवा आयोग

बनाम

प्रसाद राव और अन्य

(सिविल अपील सं. 2043-2046/2010)

25 फरवरी, 2010

**[वी. एस. सिरपुरकर और डॉ. मुकुंदकम शर्मा , जे. जे.]**

आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार सेवा कानून-चुनाव-चयन सूची-ट्रिब्यूनल द्वारा जारी निर्देश, उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई-अपील पर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उपयुक्त रूप से संशोधित निर्देशों में कहा गया है।

आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की गई चयन सूची के संबंध में विवाद उत्पन्न हुआ और न्यायाधिकरण द्वारा कुछ निर्देश जारी किए गए, जिनकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई।इसलिए वर्तमान अपीलें।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित

1.इस तर्क में बल है कि न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देश, जिनकी उच्च न्यायालय द्वारा भी पुष्टि की गई है, जटिलता पैदा करेंगे

और इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए आदेशों के संशोधन में, यह निर्देश दिया जाता है:

(i) वह चयन सूची जो आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल अपील सं. 4129/2006 में आदेश दिनांकित 14.09.2006 इस न्यायालय के निर्णय और आदेश के अनुसार तैयार की गई थी। और जो लोक सेवा आयोग के आधिकारिक अभिलेखों में निहित है, उसे बहाल कर दिया गया है और उस नियुक्ति को सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रभावी किया जाएगा। लोक सेवा आयोग के आधिकारिक अभिलेखों में उल्लिखित चयन सूची में उल्लिखित वरिष्ठता पद के संदर्भ में, लेकिन इस शर्त के अधीन कि वे सभी उम्मीदवार जिन्हें आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की गई चयन सूची में उल्लिखित पद के लिए चुना गया है और उनमें से जो उसी के अनुसार अपने पदों पर शामिल हुए हैं, उन्हें या तो अपनी मौजूदा स्थिति और पद को बनाए रखने का विकल्प दिया जाएगा, जिसके लिए उन्हें समूह-1 सेवाओं के लिए अधिसूचना संख्या 5/1998 के अनुसार चुना गया था या इस आदेश के अनुसार अब पेश किए जा रहे नए पद का विकल्प दिया जाएगा।

(ii) कि ऐसे उम्मीदवार को लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विकल्प का उपयोग करने का आदेश दिया जाएगा। इसके बाद आयोग नियमों के अनुसार और इस प्रकार प्रयोग किए गए उपरोक्त विकल्प के संदर्भ में कानून के अनुसार कार्य करेगा और उसे प्रभावी

बनाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन उम्मीदवारों को चयन के अनुसार और चयन सूची में योग्यता की स्थिति के अनुसार पहली बार नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जा रहा है, जिन्हें पहले ही तैयार किया जा चुका है, उनके लिए बुलाने या प्राप्त करने का कोई विकल्प नहीं है; और

(iii) कि उपरोक्त खंड (i) और (ii) के संदर्भ में चयन को प्रभावी बनाने के बाद, रिक्तियों को, यदि कोई हो, तो उम्मीदवारों द्वारा चयन सूची/योग्यता सूची से उनकी योग्यता और आरक्षण के नियमों के अनुसार पहले दिए गए विकल्पों के अनुसार या चयनित और किसी अन्य पद पर काम करने वाले उम्मीदवारों के लिए समान विकल्प से भरा जाएगा। [पैरा 3] [1169-एच; 1170-ए एच; 1171-ए-बी]

1. 2. जिन चयनित उम्मीदवारों को पहली बार नियुक्त किया जा रहा है, वे केवल नया विकल्प देने के हकदार होंगे और जो उम्मीदवार पहले ही अपने विकल्प का उपयोग कर चुके हैं, वे कोई नया विकल्प देने के हकदार नहीं होंगे।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:

सिविल अपील सं. 2043-2046/2010।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के याचिका सं. 17397,17398,17399 और 17400 /2007 में निर्णय और आदेश दिनांक 8.10.2007 से।

साथ में

सिविल अपील सं. 2047/2010

अल्ताफ अहमद, आर. सुंदरवर्धन, श्याम दीवान, एच. एस. गुरुराजा राव, गुंटूर प्रभाकर, वाई. राजागोपाला राव, वाई. रमेश, वाई. इस्माई राव, आर. संधन कृष्णन, प्रवीण के. पांडे (डी. महेश बाबू के लिए), डी. भारती रेड्डी, अनुराधा रुस्तोगी, जी. वी. आर. चौधरी के. शिवराज चौधरी, वाई. रमेश, वाई. विस्मई राव, सी. एस. एन. मोहन राव, सतीश गल्ला, एन. राजारमन उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय एस. सिरपुरकर, जे. द्वारा दिया गया

1. अनुमति प्रदान की गयी।
2. पक्षों की ओर से उपस्थित सभी विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, हमारी यह सुविचारित राय है कि इन अपीलों का निपटारा एक सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा किया जा सकता है क्योंकि इन अपीलों के तथ्य समान हैं।
3. हम पक्षों की ओर से पेश कुछ अधिवक्ताओं की दलीलों में बल पाते हैं कि न्यायाधिकरण द्वारा जारी किए गए निर्देश, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा भी पुष्टि की जाती है, जटिलता पैदा करेगा और इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा पारित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए आदेशों के संशोधन में, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं:

(I) हम निर्देश देते हैं कि आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल अपील सं. 4129/2006 में आदेश दिनांकित 14.09.2006 के निर्णय और आदेश के अनुसार तैयार की गई चयन सूची और जो लोक सेवा आयोग के आधिकारिक रिकॉर्ड में निहित है, उस चयन सूची को बहाल किया जाए और उस नियुक्ति को उक्त चयन सूची में उल्लिखित वरिष्ठता पद के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रभावी किया जाएगा, लेकिन इस शर्त के अधीन कि वे सभी उम्मीदवार जो आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की गई चयन सूची में उल्लिखित पद के लिए चुने गए हैं और उनमें से जो उसी के अनुसार अपने पदों पर शामिल हुए हैं, उन्हें या तो अपने मौजूदा पद और पद को बनाए रखने का विकल्प दिया जाएगा, जिसके लिए उनका चयन किया गया था।

(ii) ऐसे उम्मीदवार को लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विकल्प का उपयोग करने का आदेश दिया जाएगा। इसके बाद आयोग नियमों के अनुसार और इस प्रकार प्रयोग किए गए उपरोक्त विकल्प के संदर्भ में कानून के अनुसार कार्य करेगा और उसे प्रभावी बनाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन उम्मीदवारों को चयन के अनुसार और चयन सूची में योग्यता की स्थिति के अनुसार पहली बार नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जा रहा है, जिन्हें पहले ही तैयार किया जा चुका है, उनके लिए बुलाने या प्राप्त करने का कोई विकल्प नहीं है;

(iii) उपरोक्त खंड (i) और (ii) के संदर्भ में चयन को प्रभावी बनाने के बाद, रिक्तियों, यदि कोई हों, को उम्मीदवारों द्वारा चयन सूची/योग्यता सूची से उनकी योग्यता और आरक्षण के नियमों के अनुसार पहले दिए गए विकल्पों के अनुसार या चयनित और किसी अन्य पद पर काम करने वाले उम्मीदवारों को समान विकल्प देकर भरा जाएगा।

4. जिन चयनित उम्मीदवारों को पहली बार नियुक्त किया जा रहा है, वे केवल नया विकल्प देने के हकदार होंगे और उम्मीदवार जो पहले ही अपने विकल्प का उपयोग कर चुके हैं, वे कोई नया विकल्प देने के हकदार नहीं होंगे।

5. उपरोक्त आदेश और निर्देशों के संदर्भ में, अपीलों का निपटारा किया जाता है।

अपीलों का निपटारा किया गया।

**अस्वीकरण** - यह अनुवाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है । इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।